## SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDUR CODE, 1898

In the court of . कुमारी प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी गोहद भिण्ड

प्रकरण कमांक .204 / 2017

Name and address of the complain म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला प्रशासन भिण्ड म०प्र०

name, parentage, caste and address of accused

1. उमेश पुत्र मायाराम शर्मा निवासी गोअरखुर्द भिण्ड

The offence complained of, and date of its alleged commission

यह कि आपने दिनांक 23.09.17 समय 3:30 बजे स्थान गोंहद चौराहा पर अपने आधिपत्य के वाहन यू0पी0—75एम.टी.—1500 में क्षमता से अधिक सवारी पाये जाने चलाया ?

तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा 66 / 192ए मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया। स्पष्ट करो अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हो।

The plea of the accused and bis examination [if any]--<u>आरोपी का अभिवाक्</u>

अपराध स्वीकार है।

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the property in respect of whitch the offence has been committed

## //निर्णय//

## (आज दिनांक 23.09.2017 को घोषित किया गया)

- 1. अभियुक्त / अभियुक्तगण को धारा 66 / 192ए मोटरयान अधिनियम के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढ़कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त / अभियुक्तगण ने स्वेच्छापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।
- 2. अभियुक्त / अभियुक्तगण द्वारा की गयी स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे / उन्हें उक्त धारा 66 / 192ए मोटरयान अधिनियम के अपराध का सिद्धदोष पाते हुए कमशः 5000 / रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।
- 3. अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को 10 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 4. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन यू०पी०—75एम.टी.—1500 उसके पंजीकृत स्वामी को वापिस की जाये। स्थान—गोहद

दिनांक- 23/09/17

निर्णय आज दिनांकित एवं

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

सही / –

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी) (प्रतिष्ठा अवस्थी)

जेएमएफसी गोहद जेएमएफसी गोहद